निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 8 / 2023
दायरा दिनांकः—02.02.2023
निर्णय दिनांकः— 21. 8-24

उनवान

1. रामभरोस आत्मज घांसीलाल जाति लुहार निवासी गोडियामेहर
2. मांगी बाई पुत्री घांसीलाल जाति लुहार निवासी गोडियामेहर
3. गंगाराम आत्मज उंकारलाल जाति लुहार
4. अमरी बाई पुत्री उंकारलाल जाति लुहार निवासीगण देहरी बडोदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. छीतरलाल आत्मज मदनलाल जाति लुहार निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. अमरी बाई पुत्री घांसीलाल जाति लुहार निवासी ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 21.8.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश कुमार सोनी — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम निपानिया तहसील छबडा में प्रार्थीगण की नानी मोत्या बाई पत्नि जग्गा उर्फ जगन्नाथ की कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2017 के अनुसार खाता संख्या 238 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 706 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा स्थित थी जो नाना जग्गा उर्फ जगन्नाथ का स्वर्गवास होने पर नानी मोत्या बाई के नाम दर्ज हुई थी मोत्या बाई के कोई पुत्र नही था। इसलिए मोत्या बाई ने अपने जीवनकाल में मदना उर्फ मदनलाल आत्मज प्रभू को हिंदू रितिरिवाज के अनुसार गोद पुत्र रखा था तब से ही मदना उर्फ मदनलाल मोत्या बाई के साथ पुत्र की तरह रहा। जिसका विवाह किया जिसके एक पुत्र [illegible] प्रार्थी क्रम 1 है मोत्या बाई के पुत्रियों के जन्म के पूर्व ही उसके पति जग्गा [illegible] नाथ का स्वर्गवास हो गया था पति के स्वर्गवास के पश्चात् एक [illegible] बाद ही [illegible] दो पुत्रियों का जन्म हुआ था। जिनका नाम ग्यारसी बाई बडी व दूसरी पुत्री का नाम [illegible] बाई छोटी र[illegible] पुत्रियों के जन्म के बाद दत्तक पुत्र मदना उर्फ मदनलाल [illegible] गोद रखा था दत्त[illegible] मदना उर्फ मदनलाल का स्वर्गवास दत्तक माता मोत्या बाई के जीवनकाल में ही हो गया था। जिसके एक पुत्र छीतरलाल मौजुद है। मोत्या बाई ने अपनी पुत्रियों का विवाह घांसीलाल निवासी गोडियामेहर व उंकारलाल निवासी देहरी बडोदिया के साथ कर दिया था। मोत्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

का स्वर्गवास होने पर उसका फोती इन्तकाल नम्बर 325 दिनांक 06.12.1978 को खोला गया जो ग्राम पंचायत निपानिया ने तस्दीक किया जिससे प्रार्थीगण की माताओं व मोत्या बाई की दोनों पुत्रियों का नाम दर्ज होना चाहियें था। मात्र दत्तक पुत्र मदनलाल के पुत्र छीतरलाल के नाम ही दर्ज कर इन्तकाल को तस्दीक कर दिया गया जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। दत्तक पुत्र के समान ही पुत्रियों का हक व अधिकार है। मुताबिक सजरा मद नम्बर 3 के अनुसार मोत्या बाई का फोती इन्तकाल खोला जाना चाहिये था। इन्तकाल नम्बर 325 ग्राम पंचायत निपानिया द्वारा तस्दीक किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त होने योग्य है इन्तकाल नम्बर 325 की जानकारी प्रार्थीगण व उसकी माता को नही थी। प्रार्थीगण तो इस विश्वास में थे की प्रार्थीगण की माताओं का नाम भी रेवेन्यू रिकार्ड में होगा। किन्तु जमाबन्दी की नकल दिनांक 21.06.2022 को प्राप्त करने पर प्रथम बार ज्ञान हुआ इस पर अन्य नकले प्राप्त की तब सारे तथ्यों की प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र व पुत्रियों को समान हक व अधिकार प्राप्त है। इन्तकाल नम्बर 325 की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 21.06.2022 के बाद नकल प्राप्त करने पर हुई इन्तकाल नम्बर 325 ग्राम पंचायत निपानिया द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 के कहे अनुसार तस्दीक किया गया जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार भी श्रीमान को प्राप्त हे अपील इन्तकाल का समय निकल जाने के कारण यह नियमित वाद बाबत् अपने हक व अधिकारों की घोषणा बाबत् व बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के हकों को समाप्त करने के उद्धेश्य से माता मोत्या बाई की भूमि जो इंन्तकाल नम्बर 325 से अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज हुई को बेचान करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी क्रम 1 ने भूमियात का बेचान अन्य व्यक्ति को कर दिया तो प्रार्थीगण अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जाएंगे और अनेकानेक वाद–विवादों में उलझकर समय व धन से बर्बाद हो जाएंगे इसलिए अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है। पाईमा फेसाई केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 11.07.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 179 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2025–28 नकल नामानतरण संख्या 325 दिनांक 06.12.1978 ग्राम निपानिया नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2037–40 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2042–45 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्सा 144 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो [illegible] वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया में स्थित [illegible] नाना जग्गा उर्फ जगन्नाथ का स्वर्गवास होने के बाद नानी मोत्या [illegible] बाई के कोई पुत्र नही था मोत्या बाई ने अपने जीवनकाल में [illegible] को गोद रखा मदन के एक पुत्र छीतर है मोत्या बाई के दो पुत्रियां [illegible] प्यारसी बाई छोटी जुडवा थी दोनो पुत्रियो के जन्म के बाद मदना उर्फ मदनलाल को गोद रखा। मदनलाल की मृत्यु मोत्या बाई के जीवनकाल में हो गई थी मदनलाल का एक पुत्र छीतर मौजुद है मोत्या बाई की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण 325 दिनांक 06.12.1978 को खोला गया जिसमें मोत्या बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दोनो पुत्रियों के नाम दर्ज होना चाहियें था परन्तु मात्र दत्तक पुत्र मदनलाल के पुत्र छीतरलाल के नाम ही दर्ज कर नामान्तरण खोल कर तस्दीक किया गया। जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है दत्तक पुत्र के समान ही पुत्रियों का हक अधिकार है अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के हको को समाप्त करने के उद्धेश्य से विवादित आराजी को बेचान करने पर आमादा हे यदि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा भूमियों को बेचान अन्य व्यक्ति को कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी क्रम 1 को पाबन्द फरमाया जावे। की विवादित भूमि का रहन बेचान नही करे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2021–24 में मोत्याबाई बेवा जग्गा जात लुहार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2025–28, 2043–46 में मोत्याबाई बेवा जग्गा लुहार दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी के आधार पर यह साबित होता है कि विवादित आराजी मोत्याबाई बेवा जग्गा लुहार के खातेदारी की थी नकल नामान्तरण संख्या 325 दिनांक 07.12.1978 के अनुसार मृतक मोत्या बेवा जगन्नाथ का फोती नामान्तरण छीतर पुत्र मदनलाल लुहार के पक्ष में दर्ज किया गया। इससे यह साबित होता है कि मृतक मोत्याबाई का फोती नामान्तरण छीतर पुत्र मदनलाल के नाम दर्ज किया गया मोत्या की पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2037–40, 2042–45, 2074–77 में छीतर पुत्र मदनलाल का नाम दर्ज हे मोत्याबाई के फोती नामान्तरण के बाद से अप्रार्थी क्रम 1 छीतरलाल का नाम दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विवादित भूमि का बेचान अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी क्रम 1 को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 706 रकबा 6.06 बीघा की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:45 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)